राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– 68 / 14 दायर दिनांक:– 01.07.2014

1– गणेशराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी फरडोद तह.जायल जिला नागौर।
2– नरसीराम पुत्र धारूराम जाति जाट निवासी फरडोद तह.जायल जिला नागौर।
3– भंवरी पुत्री धारूराम जाति जाट निवासी फरडोद तह.जायल जिला नागौर।
4– श्यामसुन्दर पुत्र गुलाबचंद जाति ब्राहामण निवासी फरडोद त.जायल जि नागौर।
5– महावीरप्रसाद पुत्र गुलाबचंद जाति ब्राहामण निवासी फरडोद त.जायल।
6– दामोदरलाल पुत्र गुलाबचंद जाति ब्राहामण निवासी फरडोद त.जायल।
7– शारदादेवी पुत्री गुलाबचंद जाति ब्राहामण निवासी फरडोद त.जायल जि नागौर।
8– पांचीदेवी पत्नि चुनाराम जाति साद निवासी फरडोद तह. जायल जि. नागौर।

......................प्रार्थीगण

बनाम

1– चेनाराम पुत्र धारूराम जाति जाट निवासी फरडोद तह. जायल।
2– सत्यनारायण पुत्र गुलाबचंद जाति ब्राहामण निवासी फरडोद तह.जायल।
3– रमेशचन्द पुत्र गुलाबचंद जाति ब्राहामण निवासी फरडोद तह.जायल।
4– पूर्णाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी फरडोद त.जायल।
5– रामनिवास पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी फरडोद त.जायल।
6– रामकिशोर पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी फरडोद त.जायल।
7– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251(क) **R.T. Act.**

उपस्थित अधिवक्ता :–

1– श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थी की और से।
2– श्री हनुमानराम मण्डा अप्रार्थी सं. 01 से 03 की और से।
3– श्री जीयाराम गौदारा अप्रार्थी सं. 04 से 06 की और से।
4– श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अप्रार्थी सं. 06 की और से।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.06.18

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम फरडोद के निवासी है। ग्राम फरडोद के खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 21 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 103 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 82 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 82, 102, 103 के पूर्वी एवं उत्तरी तरफ प्रार्थीगण सं. 04 से 06 के खसरा नम्बर 81, 83 व 101 आये हुए है जिन के पूर्वी एवं उत्तरी तरफ रास्ता एवं सरकारी भूमि आयी हुई है। प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो इस प्रार्थना पत्र का भाग है। पहले सभी प्रार्थीगण के खेतों में जाने के लिये नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए से बी व सी रास्ता खेतों की सींव पर चलता था परन्तु अप्रार्थी सं. 06 रामकिशोर ने मार्क ए स्थान पर बडा खडा खोदकर एवं खेत खसरा नम्बर 101 के तीनों तरफ खाई खुदवाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। हमे हमारे खेतों में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के मार्क अ से बी व सी तक मौजा फरडोद के खसरा नम्बर 101 के उत्तरी तरफ मार्क ए से ई तक जो रास्ता बंद किया गया है उसे खुलवाया जावे अन्यथा अप्रार्थीगण सं. 04 से 05 के खेत खसर नम्बर 81 व 83 के मध्य सींव पर से प्रार्थीगण सं. 08 के खसरा नम्बर 82 में से होकर मार्क डी से ई तक नियमानुशार प्रतिकर राशि निर्धारित कर माफिक नजरी नक्शा के 20 फुट चोडाई में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 के आने जाने के लिये रास्ता दिया जावे। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस से हमे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाने का तहसीलदार जायल को आदेश प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन किया जा रहा है। इस भूमि में आने–जाने के लिये नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर
6/6/18

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 की और से हनुमानराम मण्डा व अप्रार्थी सं. 04 से 05 की और जीयाराम गौदारा तथा अप्रार्थी सं. 06 की और से मुन्नीलाल कडवासरा ने वकालतानामा पेश किया। परन्तु जबाब के लिये बार–बार अवसर देने के उपरान्त भी इन्होने जवाब पेश नहीं किया जिस के कारण इन का जबाब बंद किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र दिनांक 30.05.18 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थीगण ने मौजा फरडोद के खेत खसरा नम्बर 82, 102 व 103 व 113 में जाने के लिये खसरा नम्बर 101 में से रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 101 की और चलने वाला रास्ता कटणी रास्ता न होकर कदिमी रास्ता है जिस से खसरा नम्बर 101 की और से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। खसरा नम्बर 82, 102, 103 व 113 में जाने के लिये सब से नजदीकी रास्ता मौजा फरडोद के खसरा नम्बर 110, 147 व 150 की और से लगता है। खसरा नम्बर 82, 102, 103 व 113 में जाने के लिये कटाणी रास्ते से नजदीकी दुसरा कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण ने मौजा फरडोद के खसरा नम्बर 101 में से नजरी नक्शा के मार्क ए से ई तक रास्ता खुलवाने व मार्क डी से ई तक नियमानुशार प्रतिकर राशि निर्धारित कर माफिक नजरी नक्शा के अनुशार 20 फुट चोडा रास्ता की मांग कर रहे है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुशार एक काश्तकार को उसकी भूमि में आने–जाने के लिए निकटतम दुरी पर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रार्थीगणों की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवागमन के लिये रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार जायल ने मौजा फरडोद के खसरा नम्बर 82,102,103

उपखण्ड अधिकारी
जायल (जिला नागौर)

Scanned by CamScanner

व 113 में जाने के लिये मौजा फरडोद के खसरा नम्बर 110, 147 व 150 में से होकर कटाणी रास्ते के नजदीक रास्ता बताकर प्रस्तावित किया है। जब कि प्रार्थीगण मौजा फरडोद के खसरा नम्बर 101 में से रास्ते की मांग कर रहे है जो कि निकटतम दुरी पर नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा जो नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है उस में मार्क ए से ई व डी से ई चिन्हित नहीं है तथा कटाणी रास्ते के नजदीक से भी रास्ते की मांग नहीं की है। तहसीलदार जायल की रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के अनुशार प्रार्थीगण ने निकटमतम दुरी से रास्ते की मांग नहीं की है तथा नजरी नक्शा भी सही चिन्हित कर पेश नहीं किया है जिस के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण चाहे तो निकटतम दुरी से लगने वाले रास्ते के लिये दुसरा प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त तथ्यों व विवेचन के अनुशार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

6/6/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 06.06.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/6/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned by CamScanner